


कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, कोटपूतली

Mail id: cbco.kotputli@gmail.com



Phone no: 01421-249231

क्रमांक- 9859

दिनांक- 23/09/25

बाल वाटिका हेतु राशि हस्तान्तरण आदेश


श्रीमान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेश क्रमांक 15793048 एवं 15794843 दिनांक 09.06.2025 एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर के आदेश क्रमांक 17027918 दिनांक 07.08.2025 की अनुपालना में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित बाल वाटिकाओ हेतु Community Connect Program & Cleaning Resource गतिविधि अन्तर्गत Quality Interventions Sub component : 5.5 {Foundational Literacy and numeracy-FS} Activity- 5.5.1{Pre-Primary(Recurring)} and Subactivity- Support at Pre-Primary level (New) मद हेतु राशि निम्नानुसार संबंधित विद्यालय के एसएनए खातों में राशि हस्तान्तरित की जाती है।

SN	Udise	School Name	Community Connect Programme @30000/- for each MGGS Balwatika	Cleaning Resource @5000/- for each MGGS Balwatika	विद्यालय को जारी की जाने वाली कुल राशि
1.	08120108602	SETH UMRAO LAL BANARIYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL .BANETHI (213047)	30000	5000	35000
2.	08120108202	MOHRELAL SHAH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEVTA (213043)	30000	5000	35000
3.	08120104016	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GORDHANPURA (213026)	30000	5000	35000
4.	08120103804	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL FATEHPURA KALAN (213025)	30000	5000	35000
5.	08120109401	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NARHEDA (213051)	30000	5000	35000
6.	08120114610	SARDAR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOTPUTLI (213071)	30000	5000	35000
TOTAL			180000	30000	210000

संलग्न :-व्यय दिशानिर्देश


उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं -

1. जिस मद की राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. उक्त राशि का SNA मद Pre-Primary (Recurring) है।
3. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राशि का उपयोग परिषद से जारी दिशा निर्देशानुसार एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जावे।
5. किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रावधानानुसार किया जाना है।


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा कोटपूतली

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर
2. श्रीमान अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर
3. लेखा शाखा हाजा कार्यालय
4. संबंधित विद्यालय
5. रक्षित प्रति


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा कोटपूतली